न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 144/2022
GCMS Case No. 2022/299

सायल :–	बनाम	गैरसायलः–
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		शंकरलाल पुत्र जगाराम जाति कुम्हार निवासी खोडिया पुलिस थाना बगडी नगर जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :

1. सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली।
2. गैरसायल स्वयं उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 07/10/2024

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 20.09.2022 को गैरसायल शंकरलाल पुत्र जगाराम जाति कुम्हार निवासी खोडिया पुलिस थाना बगडी नगर जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना बगडी नगर जिला पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ वर्ष 2016 से प्रकरण न्यायालय में पेश होने तक कुल 03 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। सभी प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	धारा	चालान नम्बर/दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	145/20.09.2016	19/54 आबकारी अधिनियम	105/30.09.2016	दिनांक 24.10.2016 को माननीय न्यायालय एसीजेएम सोजत द्वारा 04 पीओ एक्ट के तहत 01 वर्ष हेतु पाबंद व 05 पीओ एक्ट के तहत 500 रूपये अभियोजन व्यय से दंडित किया गया।
2	08/12.01.2017	19/54 आबकारी अधिनियम	06/22.01.2017	दिनांक 14.02.2019 को माननीय न्यायालय एसीजेएम सोजत द्वारा 04 पीओ एक्ट के तहत 01 वर्ष हेतु पाबंद व 05 पीओ एक्ट के तहत 300 रूपये अभियोजन व्यय से दंडित किया गया।
3	135/10.09.2017	19/54 आबकारी अधिनियम	95/26.09.2017	दिनांक 03.03.2022 को माननीय न्यायालय एसीजेएम सोजत द्वारा 04 पीओ एक्ट के तहत 01 वर्ष हेतु पाबंद व 05 पीओ एक्ट के तहत 300 रूपये अभियोजन व्यय से दंडित किया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner

उपरोक्त दर्ज चालानसुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल शंकरलाल पुत्र जगाराम जाति कुम्हार निवासी खोड़िया पुलिस थाना बगड़ी नगर जिला पाली निरन्तर रूप से अवैध रूप से शराब बेचने के धन्धे में लिप्त हैं। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद हैं। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

प्रकरण में अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना बगडीनगर जिला पाली का अव्वल दर्जे का बदमाश, अवैध शराब के व्यापार में लिप्त है, जिसके विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज हैं तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते हैं, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैरसायल ने वक्त बहस कथन किया कि उसके विरूद्ध समस्त प्रकरण पुराने हैं तथा वर्तमान में वह एक आम जीवन बसर कर रहा है तथा मजदूरी करके अपना परिवार चला रहा है। वह अब किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्यों में लिप्त नहीं है। अतः उसके विरूद्ध पेश इस्तगासा खारिज फरमाया जावे।

अभियोजन अधिकारी एवं गैरसायल की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय एसीजेएम कोर्ट सोजत में मुकदमा नम्बर 135/2017 अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित कर 300 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसी प्रकार मुकदमा नम्बर 08/2017 अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम एवं मुकदमा नम्बर 145/2016 अन्तर्गत धारा 19/54

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner

आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित कर अर्थदण्ड से दण्डित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(3) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल शंकरलाल पुत्र जगाराम जाति कुम्हार निवासी खोड़िया पुलिस थाना बगडी नगर जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(3) के तहत दो माह की अवधि के लिए पुलिस थाना बगड़ी नगर जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 22.10.2024 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर में सप्ताह में एक बार अर्थात 60 दिन में आठ बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगें एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगें। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल शंकरलाल पुत्र जगाराम इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना बगड़ी नगर जिला पाली गैरसायल शंकरलाल पुत्र जगाराम को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर उनके यहां गैरसायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी बगड़ी नगर जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बगड़ी नगर जिला पाली को भिजवाई जावे।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 07/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

Scanned with ACE Scanner